



पत्रांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/योजना-02/2012 735

दिनांक..... 01-07-2013

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी


विषय:- अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों की आवश्यकता की समीक्षा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबद्ध सेवाओं हेतु प्राप्त होने वाले कुल आवेदनों में से 84 प्रतिशत आवेदन प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों के RAPS काउन्टर पर विशेष रूप में शहरी क्षेत्र में आवेदकों की भीड़ जमा हो जाती है एवं कार्य का दबाव बढ़ जाता है। सामान्यतः एक कार्यपालक सहायक द्वारा पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे की कार्यावधि, जिसमें आवेदन प्राप्त किया जाता है, में 60 आवेदन प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

शासी परिषद की गत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में अनुरोध है कि उक्त मापदण्ड के आधार पर जिले में विगत एक वर्ष में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर कार्यपालक सहायकों की आवश्यकता के संबंध में मिशन को अवगत कराने की कृपा की जाए ताकि आवश्यकतानुसार आपको अतिरिक्त कार्यबल उपलब्ध कराने के बिन्दु पर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन



(डा० बी० राजेन्द्र)

अपर मिशन निदेशक